रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 19 दिसम्बर, 1987/28 अग्रहायण, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(डी-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला–171002, 17 फरवरी, 1986

संख्या जी० ए० डी०-7(जी)1-12/81.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मूल नियमों के नियम 45 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश में सरकारी निवास स्थान के आवंटन सम्बन्धी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकार निवास स्थान आवंटन (सामान्य पूल) नियम, 1986 है।

(2) ये नियम जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3057-राजपत्र/8 7-19-12-87—1,243. (2493) मूल्य : 20 पैसे।

2. परिभाषायें:—2. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'आबंटन' से इन नियमों के अनुसार निवास स्थान की अनुज्ञप्ति प्रदान करना अभिप्रेत है;

(ख) टाईप 4 और उससे ऊपर के पात्र अधिकारी/पदधारी सम्बन्धी पूर्विकता की तारीख ऐसी तारीख होगी जब से वह राज्य सरकार या अन्यत्र सेवा/प्रतिनियुक्ति पर पद में विशेष टाईप या उच्चतर टाईप से सम्बद्ध उपलब्धियां निरन्तर ग्रहण कर रहा है; परन्तु निम्न प्रवर्ग के निवास स्थान का आबंटन आवेदक की उसकी प्रार्थना पर, यदि आवश्यक हो जो इस शर्त के अधीन किया जा सकेगा कि टाईप 4 और उससे ऊपर के निवास स्थान के हकदार राजपत्रित अधिकारियों को, अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये आवंटित किये जाने वाले मकान आवंटित नहीं किये जायेंगे; परन्तु टाईप-1, टाईप-2 और टाईप-3 के निवास स्थान सम्बन्धी तारीख, जब से अधिकारी/पदधारी राज्य सरकार की सेवा में निरन्तर कार्यरत है जिसके अन्तर्गत अन्यत्र सेवा/प्रतिनियुक्ति भी है, उस टाईप के लिये पूर्विकता तारीख होगी; परन्तु यह और कि ऐसी स्थिति में जब दो या उससे अधिक अधिकारियों/पदधारियों की पूर्विकता की तारीख एक ही हो, जेष्ठता इस आधार पर अवधारित की जायेगी की तारीख उच्चतर उपलब्धियां प्राप्त करने वाले पदधारियों को उनसे कम उपलब्धियां प्राप्त करने वाले पदधारियों की अपेक्षा अधिमान दिया जायेगा और उपलब्धियां समान होने पर ज्येष्ठता सेवा अवधि के आधार पर की जायेगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसी स्थिति में जहां आवेदकों की सेवा अवधि एक समान है उनके बीच ज्येष्ठता उनकी जन्म तारीखों के आधार पर अवधारित की जायेगी और आयु में ज्येष्ठ आवेदक, निवास स्थान के आवंटन के प्रयाजनार्थ ज्येष्ठ होगा।

(ग) 'सम्पदा निदेशक' से शिमला में नियुक्त सम्पदा निदेशक अभिप्रेत है;

(घ) 'सम्पदा अधिकारी' से अपने-अपने जिलों का सम्पदा अधिकारी (उपायुक्तों के सामान्य सहायक) अभिप्रेत हैं;

(ङ) 'पात्र कार्यालय' से हिमाचल प्रदेश सरकार का कार्यालय अभिप्रेत है जिसका कर्मचारी वृन्द हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन निवास स्थान के लिये पात्र घोषित किया जा चुका है;

(च) 'उपलब्धियां' से निम्नलिखित रूप में दर्शित उपलब्धियां अभिप्रेत हैं :—

(क) मूल वेतन,
(ख) प्रतिनियुक्ति वेतन,
(ग) विशेष वेतन,
(घ) प्रेक्टिस बन्दी भत्ता, (डाक्टरों के लिये)
(ङ) उन कर्मचारियों की, जो संशोधित किये वेतनमानों से पहले के वेतनमान ले रहे हैं और ऐसे अन्य प्रवर्गों का, मंहगाई वेतन।

स्पष्टीकरण.—निलम्बित अधिकारी/पदधारी की स्थिति में, ऐसी उपलब्धियां होंगी जो वह निलम्बित किये जाने की तारीख से ले रहा हो।

(छ) 'कुटुम्ब' से या पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो और बच्चे, सौतेले बच्चे, वैध रूप से दत्तक ग्रहण किये बच्चे, भाई या बहिन जो प्रायः अधिकारी/पदधारी के साथ रहते हैं और उस पर आश्रित हैं, अभिप्रेत हैं;

(ज) 'मकान आवंटन समिति' से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर समिति अभिप्रेत है इन नियमों क अन्तर्गत इसको सौंपे गए कृत्यों का कार्यान्वयन करने के लिये गठित समिति अभिप्रेत है;

(झ) 'सरकार' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(ञ) 'किराया' से इन नियमों के अधीन आवंटित निवास स्थान की बाबत सम्बद्ध नियमों के उपबन्धों क अनुसार प्रतिमास देय किराया अभिप्रेत है;

(ट) 'निवास स्थान' से आवंटन के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा उद्दिष्ट किये गये मकानों के सामान्य पूल में तत्समय सम्मिलित कोई मकान अभिप्रेत है;

(ठ) 'शिकमी' से ग्राही द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ किराया देने या न देने पर सांझा करना अभिप्रेत है बशर्ते कि वह सरकारी आवास के आवंटन के लिये पात्र सरकारी कर्मचारी है, परन्तु ऐसे सांझे से निवास स्थान पर कोई अधिकार नहीं होगा।

(टिप्पणी.—किराये के भुगतान के बिना उपगृहों के प्रयोग की अनुमति देना शिकमी के अन्तर्गत नहीं है)।

स्पष्टीकरण:—अधिभोगी द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों से आवास का सांझ करना शिकमी नहीं समझा जायेगा।

(ड) 'अस्थाई स्थानान्तरण, से ऐसा स्थानान्तरण, अभिप्रेत है जो चार मास की अवधि से अधिक के लिये न हो; और

(ढ़) 'टाईप' अधिकारी के सम्बन्ध टाईप में से निवास स्थान की ऐसी टाईप अभिप्रेत है जिसके लिये वह नियम 5 के अधीन पात्र है।

3. अपने मकान रखने वाले अधिकारियों/पदधारियों की इन नियमों के अधीन आवंटन के लिये पात्रता:—(1) राज्य कर्मचारी जिनके तैनात किये गये स्थानों में अपने मकान हैं और उनको किराये पर दे रखा है और स्वयं वे आवंटित सरकारी मकानों में रह रहे हैं किराये का दायित्व निम्नलिखित रूप में होगा अर्थात्:—

(क) यदि अपने मकानों से उसकी प्रतिमास आय 1000 रुपये से अधिक नहीं है ..साधारण किराया

(ख) यदि प्रतिमास आय 1000/– रुपये से अधिक और 2000/– रुपये से अधिक नहीं हैं ..मण्डी किराये का आधा

(ग) यदि प्रतिमास आय 2000/– रुपये से अधिक है ..पूरा मण्डी किराया।

विनिश्चय वैसे ही लागू होगा चाहे मकानों पर स्वामित्व अधिकारी/पदाधिकारी द्वारा रखा गया हो या उसके/उसके पति/पत्नी या उस पर आश्रित बच्चों द्वारा रखा गया हो।

4. अधिकारियों के विवाहित होने की स्थिति में आवंटन के लिये पति और पत्नी की पात्रता:—(1) किसी भी अधिकारी/पदधारी की इन नियमों के अधीन निवास स्थान आवंटित नहीं किया जायगा यदि अधिकारी/पदधारी की पत्नी या पति को जैसी भी स्थिति हो, निवास स्थान आवंटित किया जा चुका है और वह निवास स्थान नहीं छोड़ देता:

परन्तु उप-नियम ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगा जहां न्यायालय द्वारा किये न्यायिक पृथक करण के आदेशानुसार पति और पत्नी पृथक-पृथक रह रहे हैं।

(2) यदि दो अधिकारी/पदधारी इन नियमों के अधीन आवंटित पृथक-पृथक मकानों में रह रहे हैं और एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं तो उन्हें विवाह के एक मास के भीतर एक मकान छोड़ना पड़ेगा।

(3) यदि उप-नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित निवास स्थान नहीं छोड़ा जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर निम्न टाईप का निवास स्थान रद्द हुआ समझा जायेगा। यदि निवास स्थान एक ही टाईप के हैं तो इसमें से एक आवंटन जैसा कि सरकार विनिश्चया करे ऐसी अवधि की समाप्ति पर रद्द किया गया समझा जायेगा।

(4) जहां पति और पत्नी दोनों हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन नियोजित हैं, निवास स्थान के आवंटन के स्वत्व पर इन नियमों के अधीन स्वतन्त्र रूप से विचार किया जायेगा।

5. निवास स्थान का वर्गीकरण.—इन नियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाये निम्न सारणी म दर्शित टाईप के निवास स्थान के आंवटन में लिये अधिकारी/पदधारी पात्र होंगे :—

निवास स्थान की टाईप	अधिकारी/पदधारी का प्रवर्ग या आवेदन की तारीख को मासिक उपलब्धियां
(i)	399 रुपये से अधिक उपलब्धियां न लेने वाले कर्मचारी ।
(ii)	399 रुपये से अधिक, किन्तु 700 रुपये से अनधिक उपलब्धियां लेने वाले कर्मचारी
(iii)	700 रुपये से अधिक, किन्तु 1200 रुपये अनधिक उपलब्धियां लेने वाले कर्मचारी;
(iv)	1200 रुपये से अधिक किन्तु 1600 रुपये से अनधिक उपलब्धियां लेने वाले कर्मचारी,
(v)	1600 रुपये से अधिक किन्तु 2100 रुपये से अनधिक उपलब्धियां लेने वाले कर्मचारी;
(vi)	2100 रुपए से अधिक, किन्तु 2,400 रुपए से अनधिक उपलब्धियां लेने वाले कर्मचारी; और
(vii)	2400 रुपए और उससे ऊपर उपलब्धियां लेने वाले कर्मचारी ।

उन कर्मचारियों की स्थिति में जिन्होनें संशोधित वेतनमान से पहले के वेतनमानों का विकल्प दिया है और राजकीय महा-विद्यालयों जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश चिकित्सा महाविद्यालय भी है, के अध्यापक कर्मचारी जो वि0 अ0 आ0 (यू0 जी0 सी0) के वेतनमान ले रहे हैं, और अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारियों के लिए भी, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन0 (सी0) डी0 (7)-14/78, तारीख 19-6-1980 के संदर्भ सहित कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन0 (सी0) (वी0) (7)-9/79, तारीख 2-11-1979, के पैरा 6 के उप-पैरा (3) और पैरा 3 के लिए मंहगाई वेतन के रूप में वर्गीकृत रकम प्रयोजनार्थ वेतन समझा जाएगा ।

(2) चतुर्थ वर्ग के सरकारी कर्मचारियों से भिन्न अन्य सभी कर्मचारी टाईप-II के हकदार होगें यदि वे प्रतिमास 400 रुपए से कम ले रहे हों।

6. आवंटन के लिए आवेदन:—(क) कोई अधिकारी जो निवास स्थान का आवंटन चाहता है या आवास को जारी रखना चाहता है जो उसको आवंटित किया गया है, के लिए आवेदक निदेशालय सम्पदा/सम्पदाअधिकारी को करेगा।

आवास के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए ज्येष्ठता सूचियां (I) प्रथम जनवरी (II) प्रथम अप्रैल, (III) प्रथम जुलाई (iv) प्रथम अक्तूबर को तैयार की जाएगी। पूर्ववत मास से मास की 15 तारीख तक प्रति आवेदन जब वरिष्ठता सूचियां तैयार की जानी है अगली सूची तैयार की जानी तारीख तक विधिमान्य होगी।

(ख) कोई अधिकारी जो उच्चतर प्रवर्ग प्राप्त करता है। उसके लिए आदेश की तारीख से चौदह दिन के भीतर आवदन करगा।

7. निवास स्थान का आवंटन:—(क) इन नियमों में अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवास, निवास स्थान रिक्त होने पर, नियम 13 (1) के उपबन्धों क अधीन अधिमानत: उस व्यक्ति को आवंटित किया जाएगा जो उस टाईप में आवास का परिवर्तन चाहता है और यदि उस प्रयोजनार्थ अपक्षित न हो तो निवास स्थान के उस टाईप क लिए पूर्विकता को प्रारम्भिक तारीख रखने वाले आवेदक को जिसके पास उस टाईप में आवास नहीं है आवंटित किया जाएगा। परन्तु आवेदक को उच्चतर टाईप का निवास स्थान आवंटित नहीं किया जाएगा और न ही ग्राही को नियमों के अधीन उसे आवंटित किए जाने वाले टाईप जिसके लिए वह पात्र है से नीचे क टाईप का निवास स्थान लेन क लिए मजबूर किया जाएगा।

(ख) आंवटन का रद्दकरण:—सरकार, अधिकारी/पदधारी के विद्यमान आवंटन को रद्द कर सकेगी और उसका उसी

टाईप का विकल्पित निवास स्थान आवंटित कर सकेगी या आपात परिस्थितियों में अधिकारी/पदधारी के अधिभोग में निवास स्थान के टाईप से अगले निम्न टाईप का विकल्पिक निवास स्थान आवंटित कर सकेगी यदि यह खाली किया जाना अपेक्षित हो।

8. बारी से बाहर आवंटन.—(1) नियम 7 के उपबन्धों के होते हुए भी, गृह आवंटन समिति द्वारा राज्य मुख्यालय पर आवंटन के लिए अधिकारी/पदधारी को, डाक्टरों के गठित बोर्ड द्वारा और जिलास्तर पर आवंटन के लिए अपने-अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उसकी या उसके कुटुम्ब क सदस्य की बीमारी के निम्नलिखित आधारों पर बारी से मुक्त किया जा सकेगा:—

(क) सक्रिय संक्रमांक अवस्था में क्षय रोग;
(ख) असाध्य कैंसर;
(ग) शारीरिक रूप से आपंग जो स्वच्छन्द नहीं चल सकता है;
(घ) चिकित्सा बोर्ड द्वारा, कारणों सहित, विशेष रूप से प्रस्तुत कोई अन्य मामला तथापि चिकित्सा बोर्ड की संस्तुति सरकार पर आबद्धकर नहीं होगी।

(2) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, या उसके सेवानिवृत्त होने पर, बारी से बाहर आवंटन सरकार द्वारा उसकी पत्नी/पति या पुत्र या अविवाहित पुत्री को किया जा सकेगा:

परन्तु मृत/सेवानिवृत्त अधिकारियों के आश्रित या हस्तान्तरित ग्राहियों के पति-पत्नी जिनके उनके तैनात स्थानों पर उनके नाम या कुटुम्ब के सदस्यों के नाम अपने मकान है, नियमों के अधीन आवास के लिए हकदार नहीं होंगे:

परन्तु यह तब जबकि सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय सेवानिवृत्त या मृत सरकारी कर्मचारी के पास सरकारी आवास था और यह और भी कि मृत या सेवानिवृत्त के कुटुम्ब के सदस्य को उसके टाईप से उच्चतर टाईप आवंटित नहीं किया जाएगा जिसके लिए सरकारी कर्मचारी पात्र है। ग्राही का स्थानान्तरण होने पर, सरकार उसके/उसकी पति/पत्नी के लिए, यदि वह उसी स्थान पर सरकारी कर्मचारियों, उसकी पात्रता के अनुसार आवंटन किया जा सकेगा।

(3) उदिष्ट कमान का अधिभोग रखने वाला अधिकारी, बारी से बाहर सरकारी निवास स्थान के आवंटन का हकदार होगा यदि उसी स्थान में वह किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जाता है। अधिकारियों/पदधारियों को जिनका, जिला लाहौल स्पिति, किन्नौर और चम्बा जिला की तहसील पांगी में सेवा अवधि पूर्ण होन पर शिमला या राज्य में अन्य स्थानों को स्थानान्तरण किया जाता है, सरकारी निवास स्थान के आवंटन में नए तैनात क स्थानों पर पूर्विकता के आधार पर अधिमान दिया जाएगा।

(4) व्यक्ति जो भारी वर्षा, भारी हिमपात, आंधी और तूफान भूचाल, अग्नि दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं।

(5) कर्मचारी जिन पर प्राईवेट मकान मालिकों द्वारा मुकद्दमें चलाए जा रहे हैं और प्राईवेट मकानों से बेदखल कर दिए गए हैं।

(6) कर्मचारी जो प्राईवेट आवास में रह रहे हैं और उनके मकान राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अर्जित किए जा चुके हैं। बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन जारी की गई अधि· सूचना के समय किराएदार थे।

(7) निजी कर्मचारी वृन्द अर्थात मन्त्रियों के निजी सहायक/निजी सचिवों आदि में से एक को।

(8) ऐसे व्यक्तियों को जिनके मामलों में जहां अत्याधिक स्वरूप की अनुकंपिक परिस्थितियां ह;

(9) जहां सेवा की आकस्मिकताएं इस प्रकार समुचित ठहराएं।

(10) गृह आंवटन समिति द्वारा सम्वादाताओं को मकानों का आवंटन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के एक सम्वाददाता को ऐसा आवंटन किया जा सकेगा। अन्य दैनिक समाचार पत्रों क सम्वाददाताओं की बावत, आंवटन के लिए ऐसे समाचार पत्रों के प्रचलन पर भी विचार किया जाएगा। एसे आंवटन सचिव लोक संपर्क विभाग की संस्तुति पर किए जाएंगे। ऐसा आवंटन ऐसे सम्वाददाता को नहीं किया जायेगा जिसका शिमला में अपने नाम पर या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम पर अपना मकान है। परन्तु इस नियम के

अधीन बारी से बाहर आवंटन प्रत्येक प्रवर्ग (टाईप) में प्राप्य मकानों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस नियम के नियम (2) और (10) के अधीन किए गए आवंटन के प्रयोजनार्थ टाईप 4 और उससे ऊपर के मकान एक साथ रखे जाएंगे और ऐसे मकान बारी स बाहर आबंटन करने के पचास प्रतिशत के अन्तर्गत नहीं होंगे ; परन्तु यह और कि बारी से बाहर आबंटन करने के समय निम्नलिखित संदर्शिकाओं का अनुसरण किया जाएगा :

(क) बारी से बाहर आबंटन करते समय बारी से बाहर आवटन के लिए आवेदक के नाम के रजिस्ट्रीकरण की तारीख पर एक आधार के रूप में विचार किया जाएगा;

(ख) आश्रितों के बारी से बाहर आवास के आवंटन के प्रार्थन-पत्रों पर विचार करते समय सरकारी कर्मचारी की मृत्यु और कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा ;

(ग) बारी से बाहर आवंटन के मामलों को विनिश्चित करते समय लोक हित भी एक महत्वपूर्ण आधार होगा ।

9. आवंटन की अस्वीकृति या स्वीकृति के पश्चात् आवंटित निवास स्थान का अधिभोग रखने में असफल रहना.—(1) यदि अधिकारी पांच दिन के भीतर निवास स्थान के आवंटन को स्वीकार करने में असफल रहता है या आबंटन के पश्चात् आबंटन के पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर निवास स्थान का कब्जा नहीं लेता है तो वह आबंटन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अन्य आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि आवंटित मकान उसी प्रवर्ग का है जिसके लिए वह हकदार है।

(2) यदि पात्रता से भिन्न प्रवर्ग का निवास स्थान का अधिभोग रखने वाले अधिकारी को नियमों के अधीन उसकी पात्रता का निवास स्थान आवंटित किया जाता है तो उसके उक्त आवंटन या आवंटन के प्रस्ताव को इन्कार करने पर निम्नलिखित शर्तों पर पहले आंवटित निवास स्थान में रहन की अनुमति दे दी जायेगी अर्थात् :—

(क) ऐसा अधिकारी, आंवटन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उच्चतर टाईप के आवास के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) विद्यमान निवास स्थान रखते समय, उससे वही किराया प्रभार्य होगा जितना उसने, ऐसे आवंटित निवास स्थान की बाबत एफ0 आर0 45 वें या सम्बद्ध तत्स्थानी उप-नियम के अधीन संदत्त करना होता या उसकी उपलब्धियों का दस प्रतिशत प्रभार्य होगा जो भी अधिक हों।

3. (क) अधिकारी/पदधारी किसी भी समय सूचना देकर जो निदेशक संपदा/सम्पदा अधिकारी के पास निवास स्थान खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व पहुंच जाए। आंवटन को अभ्यर्पित कर सकता है। निवास स्थान का आंवटन, निदेशक सम्पदा/सम्पदा अधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र के दिन से ग्यारहवें दिन स या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से जो भी बाद में हों, रद्द समझा जाएगा। यदि वह सम्यक सूचना दन में असफल रहता है तो वह दस दिन के लिए या ऐसे दिनों के लिए जब तक उस द्वारा दी गई सूचना में 10 दिन की कमी आती है। अनुज्ञप्ति फीस संदत करने क लिए उत्तरदायी होगा बशर्ते कि निदेशक सम्पदा/सम्पदा अधिकारी कम अवधि क लिए सूचना स्वीकार कर सकेगा।

(ख) कोई अधिकारी/पदधारी जो नियम 9 (3) (क) के अधीन निवास स्थान को अभ्यर्पित करता है उसकी बाबत ऐस अभ्यर्पित करन की तारीख स एक वर्ष की अवधि के लिए उसी स्थान पर सरकारी आवास क आंवटन क लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्पित करने की सूचना निम्नलिखित प्रकार क मामलों में आवश्यक नहीं है :—

(1) जब कोई भी अधिकारी/पदधारी जो अपनी पात्रता के निवास स्थान से निम्न टाइप का अधिभोग रखें हुए हैं ;

(2) जब कोई भी अधिकारी/पदधारी ने पुनः नियोजन पर आवास की निम्न टाइप का हकदार पाया जाता है;

(3) जब किसी अधिकारी/पदधारी को उसी टाईप में निवास स्थान का परिवर्तन दिया जाता है;
(4) जब अधिकारी/पदधारी के अभियोग में निवास स्थान लोक प्रयोजनार्थ मुरम्मत, गिराये जाने के लिए अपेक्षित हैं;
(5) जब अभिभोग में निवास स्थान का आवंटन, आवंटन नियमों के उपबन्धों के अधीन रद्द किया जाता है या रद्द किया गया समझा जाता है।
(6) जब सेवानिवृत/मृत के पुत्र/पुत्री, आदि वैकल्पिक आवास प्राप्त कर लेते हैं।

10. अवधि जब तक आंवटन जारी रहता है और रियायती अवधि के लिए आगे रखा जाता है—(1) आवंटन, मकान के अधिभोग रखने की तारीख से या आवंटन-पत्र की तारीख से पांच दिन तक जो भी पहले हो, प्रभावी होगा और तब तक जारी रहेगा तब तक कि :—

(क) उप-खण्ड (2) के अधीन अनुज्ञेय रियायती अवधि के समापन पर अधिकारी का हिमाचल प्रदेश में उपयुक्त कार्यालय में ड्यटी बनें न रहना ;
(ख) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन यह सरकार द्वारा रद्द कर दिया जाता है या रद्द किया गया समझा जाता है ;
(ग) अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित कर दिया जाता है; या

(2) अधिकारी को आंवटित निवास स्थान, निम्न सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से कोई घटना होने पर स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि में लिए उप-नियम (3) के अधीन रहते हुए रखा जा सकता है।

घटना	निवास स्थान रखने के लिए अनुज्ञेय अवधि
(1) त्याग पत्र, पदच्युति या हटाया जाना या सेवा का पर्यवसान	4 मास
(2) सेवा निवृत्ति	4 मास
(3) स्थान से बाहर स्थानान्तरण	2 मास
(4) ग्राही की मृत्यु	1 वर्ष
(5) हिमाचल प्रदेश में अनुपयुक्त कार्यालय को स्थानान्तरण	2 मास
(6) भारत में अन्यत्र सेवा पर जाना	2 मास
(7) भारत में अस्थायी स्थानान्तरण या भारत से बाहर किसी स्थान को स्थानान्तरण।	6 मास
(8) इयरमार्क मकान का अधिभोग रखने वाले अधिकारी का स्थानान्तरण।	प्रभार देने की तारीख से एक मास
(9) (सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी, स्वीकृत छुट्टी, सेवान्त छुट्टी चिकित्सा, अवकाश) से भिन्न अवकाश।	अवकाश की अवधि के लिए जो चार मास से अधिक न हो।
(10) अस्वीकृत छुट्टी की सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी।	अधिकतम चार मास के अधीन रहते हुए पूर्व चार मास की अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत सेवा निवृत्त के समय अनुज्ञेय अवधि भी है।
(11) भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति की पूर्ण अवधि के लिए जो एक वर्ष से अधिक न हो।
(12) भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश	अवकाश की अवधि के लिए जो छः मास से अधिक न हो। प्रशिक्षण आदि की पूर्ण अवधि के लिए।
(13) प्रशिक्षण पर जाना।	
(14) प्रसूति छुट्टी	प्रसूति छुट्टी की अवधि के लिए + (प्लस) अधिकतम पांच मास के अधीन रहते हुए क्रम में स्वीकृत अवकाश।

स्पष्टीकरण.—मद 3, 5, 6 और 7 के सामने उल्लिखित स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय अवधि का प्रभार देने + (प्लस) छुट्टी यदि कोई स्वीकृत हो और नये कार्यालयों में पद ग्रहण करने में पूर्व ली गई छुट्टी से गणना की जाएगी।

(3) जहां निवास स्थान उप-नियम (2) के अधीन रखा गया है, अनुज्ञेय रियायती अवधि की समाप्ति पर रद्द समझा जाएगा।

(4) कोई अधिकारी जिन पर नियम (2) की निम्न सारणी के मद (1) और मद (2) के अधीन रियायत होने के कारण रखा है, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपयुक्त कार्यालय में पुनः नियोजन होन पर निवास स्थान को रखने का हकदार होगा और वह इन नियमों के अधीन निवास स्थान के और आवंटन के लिए भी पात्र होगा:

परन्तु यदि ऐसे पुनः नियोजन पर अधिकारी की उपलब्धियां उसके द्वारा अधिभोग में रखे निवास स्थान के लिए हकदार बना देते हैं तो उनकी पात्रता के अनुसार निवास स्थान आवंटित किया जा सकगा।

11. नियम 11. (1) जहां आवास या अनुकल्पिक आवासके आवंटन को स्वीकार कर लिया जाता है तो किराया देने का दायित्व अधिभोग की तारीख से या आवंटन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से जो भी पहले हो, प्रारम्भ होगा।

(2) कोई अधिकारी जो स्वीकृति के पश्चात् आंवटन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर आवास का कब्जा लेने में असफल रहता है तो उससे ऐसी तारीख से एक मास की अवधि के लिए या तारीख तक जो भी पश्चातवर्ती हो, जब वह स्वीकृति वापिस ले लेता है ।

(3) जहां कोई अधिकारी जो निवास स्थान के अधिभोग में है और उसको अन्य निवास स्थान आवंटित किया जाता है और वह नये निवास स्थान को ले लता है तो पूर्ववर्ती निवास स्थान का आंवटन, नये निवास स्थान के अधिभोग की तारीख से रद्द समझा जायगा। तथापि वह नये निवास स्थान के अधिभोग के पश्चात् बिना किराया दिए पूर्ववर्ती निवास स्थान को रख सकता है।

12. (1) अधिकारी जिसका निवास स्थान आवंटित किया गया है वह ऐसी अवधि के लिए जब तक निवास स्थान उसके अधिभोग में रहा है, उसके किराए और उचित घिसाई के अतिरिक्त की गई क्षति या फर्नीचर फिक्सचर या फिटिंग या उसमें सरकार द्वारा की गई सेवाओं के लिए व्यक्तिगत रूप में दायी होगा।

(2) जहां अधिकारी, जिसको निवास स्थान आवंटित किया गया है स्थायी या स्थायीवत सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो वह प्रतिभू के साथ जो हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत स्थायी सरकारी कर्मचारी होगा, ऐसे निवास स्थान और सेवाओं की बाबत किराया या देय प्रभार संदत्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विहित इस निमित प्ररूप में प्रतिभू बन्ध-पत्र निष्पादित करेगा ।

(3) यदि प्रतिभू, सरकारी सेवा में है और न रहने के कारण अपनी प्रत्याभूति वापिस ले लेता है या किन्हीं अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं होता है तो अधिकारी ऐसे तथ्य के ज्ञान होन की तारीख से पन्द्रह दिन क भीतर दूसरी प्रतिभू निष्पादित करवायेगा, यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसके निवास स्थान का आवंटन जब तक सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाए, तथ्य की तारीख से रद्द किया गया समझा जायेगा ।

13. निवास स्थान का परिवर्तन.—(1) अधिकारी जिसको इन नियमों के अधीन निवास स्थान आवंटित किया गया है उसी टाइप के बीच निवास स्थान क परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा । एक स्थान पर रहन क दौरान निवास स्थान के टाइप के एक परिवतन से अधिक परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी: परन्तु अधिवाधिकी की तारीख से तुरन्त छः मास की अवधि के दौरान किसी निवास स्थान क परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) परिवर्तन, निदेशक सम्पदा/सम्पदा अधिकारी के कार्यालय में उसके लिए प्राप्त आवेदनों के क्रमानुसार दिए जायेंगे।

(3) यदि अधिकारी ऐसे प्रस्ताव या आवंटन की प्राप्ति के आठ दिन के भीतर उसको प्रस्तावित निवास स्थान का परिवर्तन स्वीकार करने में असफल रहता है तो उसकी बाबत उस टाइप के आवंटन के परिवर्तन के लिए पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

(4) गृह आवंटन समिति द्वारा असाधारण परिस्थितियों में दूसरे परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी।

14. परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर निवास स्थान का परिवर्तन.—नियम 13 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी, अधिकारी को परिवार के सदस्य की मृत्यु पर निवास स्थान के परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी यदि वह ऐसी घटना के तीन मास के भीतर परिवर्तन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु परिवर्तन, अधिकारी को पहले ही आवंटित निवास स्थान में इसी टाइप के लिए दिय जायेगा ।

15. कुटुम्ब न रखने वाले स्थान को स्थानांतरण.—यदि अधिकारी को ऐसे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है जहां उसको अपने कुटुम्ब को साथ रखने की अनुमति नहीं है या सरकार द्वारा न रखने का परामर्श दिया गया है और इन नियमों के अधीन उसको आवंटित निवास स्थान उसके कुटुम्ब के सदभाविक प्रयोग के लिए अपेक्षित है तो उसकी प्रार्थना पर साधारण किराया संदत्त करने पर निवास स्थान रखने की अनुमति दी जा सकेगी।

16. आवास का सांझा करना.—कोई भी अधिकारी/पदधारी उसको आवंटित निवास स्थान को, जिसके अन्तर्गत उपगृह-गरेज, अस्तवल और उसके अनुलग्नक है, सांझा नहीं करेगा जब तक कि वह सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न हों। निकट नातेदारी के साथ सांझा करना शिकमी समझा जायेगा और निम्नलिखित रिश्तेदार, घनिष्ठ रिश्तेदार समझे जायेंगे अर्थात्:—

पिता, माता, भाई, बहिन, दादा, दादी, पोते, पोतियां, अंकल, चचेरे भाई बहिन भतीजे, भतीजी तो ग्राही के सीधे रूप से सम्बन्धित है ।

17. आवंटन रद्द करने की शक्ति.—(1) यदि कोई अधिकारी जिसको निवास स्थान आवंटित किया गया है निवास स्थान को शिकमी रूप में देता है या निवास स्थान के किसी भाग में अनाधिकृत निर्माण करता है या किसी भाग का, प्रयोजन के लिए रखे प्रयोजन से भिन्न, किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग करता है या विद्युतया जल कुनैक्शन से छेड़छाड़ करता है या नियमों या आवंटन के निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है या निवास स्थान का किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग करता है जिसको सरकार अनुचित समझती है या इस प्रकार का आचरण करता है जो सरकार की राय में पड़ोसियों के साथ मैत्री पूर्ण नाता बनाए रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या जिसने आवंटन प्राप्त करने के लिए किसी आवेदन या लिखित कथन में गलत सूचना दी है, को सरकार किसी अन्य अनुशासनिक कार्यवाही जो उसके विरुद्ध की जा सकेगी, के प्रतिकूल प्रभाव बिना, निवास स्थान के आवंटन को रद्द कर सकेगी।

स्पष्टीकरण:—(1) इस उप-नियम में अभिव्यक्ति "अधिकारी" के अन्तर्गत, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, उसक कुटुम्ब का सदस्य और अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(2) यदि कोई अधिकारी, नियम 3 में यथा उपबन्धित निदेशक सम्पदा/सम्पदा अधिकारी को जानकारी अधिसूचित करने में असफल हुआ है या ऐसी जानकारी अधिसूचित करते समय, उसने किसी आवेदन या कथन में किसी तात्विक तथ्य को छिपाया है को निदेशक सम्पदा/सम्पदा अधिकारी आवंटन को रद्द कर सकगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के उल्लंघन में किसी निवास स्थान या उसके किसी भाग का शिकमी करता है तो उससे किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी दर का दुगणा किराया प्रभार्य होगा।

(4) जहां आवंटन, ग्राही द्वारा परिसरों के शिकमी करने पर रद्द किया गया है, परिसरों को

खाली करने के लिए ग्राही या उसके साथ रह रहे किसी अन्य व्यक्ति को 60 दिन की अवधि दी जायेगी। आवंटन, परिसरों के खाली करने की तारीख से या आवंटन क रद्दीकरण के आदेशों की तारीख से 60 दिनों की अवधि की समाप्ति से जो भी पहले को कर दिया जायेगा ।

(5) जहां पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आचरण के लिए निवास स्थान रद्द कर दिया जायेगा, सरकार के विवेकाधिकार से अन्य निवास स्थान उसी टाईप में किसी अन्य स्थान पर आवंटित किया जा सकगा।

18. आवंटन के रद्दीकरण के पश्चात् अधिक समय रहना.—जब इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध में अधीन आवंटन, रद्द किया जा चुका है या रद्द समझा गया है, उसके पश्चात् ऐसा निवास स्थान जिसको यह आवंटित किया गया था, के अधिभोग या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में रहता है तो ऐसा अधिकारी निवास स्थान के प्रयोग और अधिभोग, सर्विस, फर्नीचर और बगीचा प्रभार्य, मण्डी किरायों से दुगुने किराए के समान देय होगा जैसा कि समय-समय पर अवधारित किया जाए:—

स्पष्टीकरण.—"सर्विस" के अन्तर्गत सफाई, सांझा प्रकाश और सांझी जल सुविधा है और स्टैंडर्ड किराया या मूल किराए का चार गुणा जो भी अधिक हो :

परन्तु अधिकारी को सरकार द्वारा विशेष मामलों में नियम 10(2) के अधीन अनुमति अवधि से अधिक के लिए जो छः मास से अधिक न हो एफ० आर० ए० क अधीन स्टैंडर्ड किराया का दुगुना संदत्त करने पर निवास स्थान रखने की अनुमति दी जा सकेगी।

19. इन नियमों के जारी किए जाने से पूर्व आवंटन का जारी रहना—इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व उस समय प्रवृत्त नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में किया गया आवंटन, इस बात के होते हुए भी, कि अधिकारी जिसको आवंटन किया गया है सम्बद्ध नियम के अधीन उस टाईप को निवास स्थान का हकदार नहीं है, इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से किया गया आवंटन समझा जायेगा और इन नियमों के सभी अनुवर्ती उपबन्ध उस आवंटन और अधिकारी क सम्बन्ध तदनुसार लागू होंगे।

20. नियमों का निर्वाचन.—यदि इन नियमों के निर्वाचन की बाबत कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाता है तो सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

21. शक्तियों का प्रत्यायोजन.—सरकार, इन नियमों द्वारा उसको प्रदत्त किसी शक्ति या शक्तियों को उसके नियन्त्रणाधीन किसी भी अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि वह अधिरोपित करना उचित समझे प्रत्यायोजित कर सकेगी । परन्तु इन नियमों के नियम 24 के अधीन शक्तियां किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकेगी।

22. ये नियम, जारी किए जाने की तारीख से हिमाचल प्रदेश के समस्त जिलों में साधारण पुल आवास के आवंटन के लिए लागू होंग।

23. किराया मुक्त आवास.—कोई भी अधिकारी/पदाधारी जो किराया मुक्त आवास क हकदार है उनकी बाबत साधारण पूल आवास में आवंटन के लिए विचार नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे स्थानों पर, अधिकारी/पदधारी के लिए जो निशुल्क आवास के हकदार हैं । जहां विभागीय आवास उपलब्ध नहीं है उनकी बाबत उस स्थान पर साधारण पूल से निवासीय आवास क लिए अन्य कर्मचारियों के साथ इस शर्त के अधीन विचार किया जायगा कि यदि उन्हें साधारण पूल से आवास आवंटित किया जाता है तो किराया सम्बन्धित विभाग द्वारा दिया जायेगा ।

24. नियमों में ढील.—सरकार, लिखित कारणों को लिपिबद्ध करके, लोक हित में या अतिवार्धक्य अनुकम्पा के मामलों में इन नियमों के सभी उपबन्धों या किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकगी।

25. निरसन और व्यावृति.—(1) हिमाचल प्रदेश सरकारी निवास स्थान आवंटन नियम, 1984 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किया गया कोई आदेश, आवंटन या की गई कोई कार्रवाई या बात इन नियमों में अन्तर्विष्ट तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (सामान्य प्रशासन) ।

[*Authoritative English text of Notification No. G.A.D.-7(G)1-12/81, dated 17th F bruary, 1986 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.*]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(D—SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 17th February*, 1986

No. ZAD-7(G) 1-12/81.—In pursuance of Rule 45 of the Fundamental Rules the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules regarding allotment of Government residential accommodation in Himachal Pradesh:

1. *Thort title and application.*—(i) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool) in Himachal Pradesh Rules, 1986.

(ii) These shall come into force from the date of issue.

2. *Definition.*—In these rules, unless the context otherwise requires;

(*a*) 'allotment' means the grant of licence to occupy a residence in accordance with provisions of these rules;

(*b*) 'date of priority' of an officers/official in relation to a type IV and have shall be the date from which he has been continuously drawing the emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the State Government or on foreign service/deputation. Provided that allotment of lower category residence may be made to an applicant at his request if considered necessary, subject to the condition that the Gazetted officers entitled to type-IV and above accommodation will not be allotted house meant for non-gazetted officials:

Provided that in respect of type-I, type-II, and type-III residences, the date from which the officer/official has been continuously in service under the State Government including the period of foreign service/deputation shall be his priority date for that type:

Provided further that where the priority date of two or more officers/officials is the same, seniority among them shall be determined by the amount of emoluments, the official in respect of higher emoluments taking precedence ever the officer/official in receipt of lower emoluments and where the emoluments are equal, by length of service:

Provided further that where the length of service of applicants is the same, seniority among them shall be determined by taking into consideration the dates of their births and the applicant senior in age will be senior for the purpose of allotment of accommodation:

(*c*) 'Director of Estates' means Director of Estates appointed at Shimla;

(*d*) 'Estate Officer' means Estate Officer (G.A.s to Deputy Commissioner's) of the respective Districts;

(*e*) 'eligible office' means at Himachal Pradesh Government office, the staff of which has been declared by the Himachal Pradesh Government as eligible for accommodation under these rules;

(*f*) 'emoluments' means the emoluments as defined below:

(*a*) Basic pay,

(*b*) Deputation pay,
(*c*) Special pay,
(*d*) N.P.A., (for Doctor's).
(*e*) dearness pay of those employees who are in receipt of pre-revised scales of pay and other similar categories.

Explanation.—In the case of an officer/official who is under suspension, the emoluments will be as drawn by him on the day prior to the day on which he is suspended.

(*g*) 'faimly' means the wife or husband as the case may be, and children, step children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer/official;
(*h*) 'House Allotment Committee" means a committee constituted by the H.P. Government from time to time to carry out the functions assigned to it in these rules;
(*i*) 'Government' means the Himachal Pradesh Government unless the context otherwise requires;
(*j*) 'rent' means the sum of money payable monthly in accordance with the provision of the relevant rules in respect of a residence allotted under these rules;
(*k*) 'residence' means any house included for the time being in the general pool of houses earmarked by the Government for the purposes of allotment;
(*l*) 'subletting' means sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of rent by such other person provided he is a Government servant eligible for allotment of Government accommodation. Provided that sharing will not entitled share to any right over the residence.

(*Note.*—Permitting the use of out-houses without payment of rent will not constitute subletting).

Explanation.—Any sharing of accommodation by an allottee with close relations shall not be deemed to be subletting.

(*m*) 'temporary transfer' means a transfer which involves an absence for a period not exceeding four months.
(*n*) 'type' in relation to an officer means the type of residence to which he is eligible under rule 5.

3. *In-eligibility of officers/official owning houses, for allotment under these Rules.*—(1) The State Government employees who own houses at their places of postings which they have rented out but themselves are residing in Government allotted accommodation, the rental liability of officers/officials would be as under:—

(*i*) if the income from his own houses does not exceed Rs. 1,000/- P.M. ..	Normal Rent
(*ii*) if the income exceeds Rs. 1,000/- P.M. but does not exceed Rs. 2,000/- P.M. ..	Half the market rent.
(*iii*) If the income is above Rs. 2,000/- P.M. ..	Full market rent,

The decision would apply equally whether the houses is owned by the officer/official or his/her wife/husband or by his/her dependent children.

4. *Allotment to husband and wife eligibility in case of officers who are married to each other.*—(1) No officer/official shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband, as the case may be, of the officer/official has already been allotted a residence unless such residence is surrendered; Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by a Court.

(2) Where two officers/officials in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall within one month of marriage surrender one of the residences.

(3) If a residence is not surrendered as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period and if the residences are of the same type, the allotment of such one of them as the Government may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(4) Where both husband and wife are employed under the Himachal Pradesh Government, the title of each of them to allotment of a residence under these rules shall be considered independently.

5. *Classification of residences.*—(1) Save as otherwise provided by these rules officer/official will be eligible for allotment of a residece of type shown in the table below:—

Type of residence.—Category of officer/official or monthly emoluments as on the date of application.

I	Employees drawing emoluments not exceeding Rs. 399/-.
II	Employees drawing emoluments exceeding Rs. 399/- but not exceeding Rs. 700/-
III	Employees drawing emoluments exceeding Rs. 700/- but not exceeding Rs. 1,200/-
IV	Employees drawing emoluments exceeding Rs. 1,200/- but not exceeding Rs. 1,600/-
V	Employees drawing emoluments exceeding Rs. 1,600/- but not exceeding Rs. 2,100/-
VI	Employees drawing emoluments exceeding Rs. 2,100/- but not exceeding Rs. 2,400/-
VII.	Employees drawing emoluments of Rs. 2,400/- and above.

In the case of those employees who have opted for the pre-revised scales and the teaching personnel of the Government Colleges, including the H.P. Medical College, who are in receipt of U.G.C. scales of pay, as also officers belonging to All India services, the amount classified as "Dearness Pay" in terms of sub-para (3) of para 6 and para 3 of Finance Department's Office Memorandum No. Fin(C)(B)(7)-C/79, dated 2-11-1979 r/w office Memorandum No. Fin(C)D(7)-14/78, dated 19-6-1980, shall be treated as "pay" for the purpose.

(2) All officials other than class IV Government servants shall be entitled to type-II, if they are drawing less than Rs. 400/- per month.

6. *Application for allotment.*—(1) An officer who seeks an allotment of residence for the continuance of accommodation which has been allotted to him shall apply in that behalf to the Directorate of Estates/Estate officer.

The seniority lists for each category of accommodation will be drawn up on (i) 1st January, (ii) 1st April; (iii) 1st July and (iv) 1st October. The applications received upto 15th of the month preceding the month when the seniority lists are to be drawn up will be valid till the next list is out.

(2) An officer who gets into a higher category shall apply for the same within fourteen days from the date of order.

7. *Allotment of residence.*—(1) Save as otherwise provided in these rules, a residence, on falling vacant, will be allotted preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that type under the provisions of Rules 13(1) and if not required for that purpose, to an applicant without accommodation in that type having the earliest date of priority for that type of residence:

Provided that the residence of higher type shall not be allotted to an applicant and also that no allottee shall be compelled to occupy a residence of a lower type than that to which he is eligible under rules.

2. *Cancellation of allotment.*—The Government may cancel the existing allotment of an officer/official and allot him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer/official, if it is required to be vacated.

8. *Out of turh allotment.*—(1) Notwithstanding the provisions of rule 7, allotment of residence may be made by the House Allotment Committee, on out of turn basis to an officer/official on the grounds of following types of illness of self or a member of his family recommended by the Board of Doctors constituted and presided over by the Director of Health Services for the allotment at State Headquarter and Chief Medical Officer concerned of respective District for the allotment at District level;

(*i*) T.B. in active infectious stage;
(*ii*) Malignant cancer;
(*iii*) Physically handicapped, who cannot more about freely;
(*iv*) any other case specially recommended by the Medical Board, with reasons;

The recommendaions of the Medical Board will, however, not be binding on the Government.

(2) In the event of death or retirement of a Government servant out of turn allotment may be made by the Government to the wife/husband or son or unmarried daughter:

Provided that those wards of deceased/retired officers or the spouses of the transferred allottees who own houses in their own names or in the names of members of their family at the places of their posting shall not be entitled for accommodation under Rules:

"Provided that the retired or the deceased Government servant was in occupation of Government accommodation at the time of his retirement or death; and Provided further that out of turn allotment shall not be made in a category higher than a category to which such a member of the family of the deceased or retired Government servant is entitled.

In the event of transfer of an allottee, Government may consider out of turn allotment to his/her spouse according to his/her entitlement in case he or she is in Government service at the same station".

(3) An officer occupying an earmarked house shall be entitled to out of turn allotment of Government residence in case he is transferred to another post at the same station. The officers/officials who after completion of their full tenure in the districts of Lahaul and Spiti, Kinnaur and Pangi tehsil of District Chamba are transferred to Shimla and other places in the State shall be give preferance on priority basis in allotment of Government residential accommodation, at the stations, of new postings.

(4) Persons who are victims of natural calamities like heavy rains, heavy snowfall, wind and storms, earthquakes, fire accidents etc.

(5) Employees who have been dragged into ligigation by private house owners and evicted from private houses.

(6) Employees who are residing in private accommodation and whose houses have been acquired by the State Government in the public interest, provided that such employees happen to the tenants at the time of issuance of Notification under section 4 of the Land acquisition Act, 1894.

(7) Personal staff i.e. one out of the personal Assistants/Private Secretaries etc. of the Ministers.

(8) Persons in whose cases, there are compassionate circumstances of an extreme nature.

(9) Where exigencies of service so warrant;

(10) Allotment of houses may be made to the press correspondents by the House Allotment Committee. Such attotment may be made to one of the Correspondents of National Dailies. Correspondents of other daily newspapers with a sizeable circulation in the State may also be considered for allotment of houses. These allotments may be made on the recommendation of the Secretary, public relations department. Such allotment shall not be made to a correspondent who owns a house in Shimla in his own name or in the name of a member of his family:

Provided that out of turn allotment under this Rule shall not exceed 50% of the houses available in each category, Type IV and above houses will be bracketted together for the purpose of

this proviso and allotment made under rule (2) and (10) of this Rule shall not form part of 50% allotment on the basis of out of turn allotment:

Provided further that while making out-of-turn allotment, the following guidelines be followed;

(*i*) while making out-of-turn allotment, the date of registration of the name of applicant for out-of-turn allotment should also be kept in view as one of the factors;

(*ii*) the death of Government servant and economic condition of the family should also be taken into account while considering requests of his wards for out-of-turn allotment of accommodation.

(*iii*) public interest shall also be an important factor while deciding the cases of out-of-turn allotment.

9. *Non acceptance of allotment or failure to occupy the allotted residence after acceptance.*— (1) If an officer fails to accept the allotment of residence within five days or fails to take the possession of the residence after allotment within eight days from the date of receipt of the letter of allotment he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of allotment letter provided the house allotted is of the same category to which he is entitled.

(2) If an officer occupying a residence of a category lower than the one to which he is entitled is allotted a residence of the type for which he is eligible under rules, he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely:—

(*a*) that such an officer shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of allotment letter for the higher class accommodation;

(*b*) while retaining the existing residence, he shall be charged the same rent which he would have to pay under F.R.45-A or under relevant correpsonding new rule in respect of the residence so allotted or 10% of his emoluments whichever is higher.

(3)(a) An officer/official may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Director of Estates/Estate Officer at least 10 days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the Director of Estates/Estate Officer or the date specified in the letter, whichever is later. If he fails to give due notice, he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days, provided that the Director of Estates/Estate Officer may accept a notice for a shorter period.

(*b*) An officer/official who surrender the residence under rule 9 (3) (*a*) shall not be considered again for allotment of Government accommodation at the same station for a period of one year from the date of such surrender.

A surrender notice is not necessary in the following types of cases:—

(*i*) When an officer/official in occupation of a lower type of residence than his entitlement is allotted a residence of the type to which he/she is entitled.

(*ii*) When an officer/official on his re-employment is found to be entitled to a lower type of accommodation.

(*iii*) When an officer/official is given change of residence to another in the same type.

(*iv*) When the residence in occupation of an officer/official is required for a public purpose, repairs or for demolition.

(*v*) When the allotment of the residence in occupation is cancelled/deemed to be cancelled under the provision of the Allotment Rules.

(*vi*) when the son/daughter etc. of retiring/deceased allottee gets alternative accommodation.

10. *Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention.* (1) an allotment shall be effective from the date on which the house is occupied or five days from the date of allotment letter which is earlier and shall continue in force till:—

(*a*) The expiry of the concessional period permmissible under sub-clause (2) after the officer ceases to be on duty in an eligible office in Himachal Pradesh.
(*b*) It is cancelled by the Government or it is deemed to have been cancelled under provisions of these rules.
(*c*) It is surrendered by the officer, or

(2) A residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3) be retained on the happening of one of the events specified in column 1 of the table below for the period specified in the corresponding entry in column 2 there of provided that the residence is required for the bonafide use of the officer or members of his family.

Event	*Permissible period of Retention of the residence*
(*i*) Resignation, dismissal, removal or termination of service	4 months.
(*ii*) Retirement	4 months.
(*iii*) Transfer outside the station	2 months.
(*iv*) Death of the allottee	1 year.
(*v*) Transfer to an ineligible office in Himachal Pradesh	2 months.
(*vi*) On proceeding on foreign service in India	2 months.
(*vii*) Temporary transfer in India or transfer to a place outside India.	6 months.
(*viii*) Transfer of an officer occupying an earmarked house	One month from the date of handing over charge.
(*ix*) Leave (other than leave preparatory to retirment refused leave, terminal leave, medical leave)	For the period of leave not exceeding four months.
(*x*) Leave preparatory to retirement of refused leave	For the full period of leave subject to a maximum of four months inclusive of the permissible at the time of retirement.
(*xi*) Deputation out side India	For the full period of deputation but not exceeding one year.
(*xii*) Study leave in India or Abroad	For the period of leave but not exceeding six months.
(*xiii*) On proceeding on training	For the full period of training etc.
(*xiv*) Maternity leave	For a period of maternity leave plus the leave granted in continuation subject to maximum five months.

Explanation

The period permissible on transfer mentioned against items *iii*, *v*, *vi* & *vii* shall count from the date of relinquishing charge plus the period of leave if any sanctioned to and availed of by the officer before join duty in new office.

(3) Where a residence is retained under sub rule (2) the allotment shall be deemed to be cancleled on the expiry of the admissible concessional periods.

(4) An officer who has retained the residence by virtue of the concession under item (*i*) and item (*ii*) of the table below sub-rule (2) shall, on re-employment in an eligible office within the period secified in the said table, be entitled to retain that residence and he shall also be eligibile for any further allotment of residence under these rules:

Provided that if the emoluments of the officer on such re-employment do not entitle him to the type of residence occupied by him, he may be allotted a residence of the type to which he is entitled.

11. (1) Where an allotment of accmmodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for rent shall co mmence from the date of occupation or the eight days from the date of receipt of the allotment, whichever is earlier.

(2) An officer who, after acceptance, fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of receipt of the allotment letter shall be charged rent from such date for a period of one month or upto the date on which he withdraws his acceptance, whichever is later.

(3) Where an officer who is in occupation of residence is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the residence. He may, however, retain the form residence without payment of rent for two days after occupation of the new house.

12. (1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the rent thereof and for any demage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture fixtures or fittings or services provided therein by the Government during the period for which the residence has remained under his occupation.

(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant, he shall execute a security bound in the form prescribed in this behalf by the Himachal Pradesh Government with a surety, who shall be a permanent Government servant serving under Himachal Pradesh Government for paymnt of rent and charges due from him in respect of such residence and services.

(3) If the surety ceases to be in Government service, withdraws his guarantee or ceases to be available for any other reasons, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event and if he fails to do so, the allotment of the residence to him, shall, unless otherwise decided by the Government, be deemed to have been cancelled with effect from the date of the event.

13. (1) An officer to whom a residence has been allotted under these Rules, may apply for a change of residence within the same type. Not more than one change shall be allowed in respect of one type of a residence during his stay at a station:

Provided that no change of residence shall be allowed during a period of six months immediately preceding the date of superannuation.

(2) Changes shall be offered in the order of receipt of applications for the same in the office of Director of estates/Estate officer.

(3) If an officer fails to accept a change of residence offered to him within eight days of the receipt of such offer or allotment, he shall not be considered again for a change of allotment of that type.

(4) A second change may be allowed for exceptional reasons by the House Allotment Committee.

14. *Change of residence in the event of death of member of the family.*—Notwithstanding anything contained in rule-13, an officer may be allowed a change of residence on the death of any member of the family if he applies for a change within three months of such occurance, provided that the change will be given in the same type of residence already allotted to the officer.

15. *Transfer to Non-family station.* If an officer is transfered where he is not permitted or advised by the Government to take his family with him and the residence allotted to him under these rules, is required by the family for bonafide use, he may be allowed, on request, to retain the residence on the payment of normal rent.

16. *Sharing of accommodation.* No officer/official shall share the residence alliotted to him including any of the out houses, garages and stables appurtenant thereto unless authorised to do so by the Government.

Any sharing of accommodation with close relatives shall not be treated subletting, the following relations will be treated as close relations viz. father, mother, brothers, sisters, grand father, grand-mother, grandsons, grand-daughters, uncles, aunts, first cousions, nephews, nieces, directly related by blood to allottees, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law, and any other relationship established by legal adoption.

17. *Power to cancel Allotment.*—(1) If any officer to whom a residence has been allotted sublets the residence or erects any unauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purpose other than that for which it is meant or tempers with the electric or water connections or commits any other breach of rules or of the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises for any purposes which the Government considers to be improper or conducts himself in a manner which in the opinion of the Government is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement, with a view to securing a allotment, the Government may without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him cancel the allotment of the residence.

Explanation.—In this sub-rule, the expression 'officer' include unless the context otherwise require, a member of his family and any person claiming through the officer.

(2) If the officer has failed to notify the information to the Director of Estates/Estate Officer as provided under Rule 3 or while so notifving the information has in any application or statement supressed any material fact, the Director of Estates/Estate Officer may cancel the allotment.

(3) If any officer, sublets a residence allotted to him or any portion thereof in contravention of these rules, he mav without prejudice to any other action that may be taken against him, be charged rent at double the market rent.

(4) Where action to cancel the allotment is taken on account of subletting of the premises by the allottee, a period of 60 davs shall be allowed to the allottee or any other person residing with him, therein to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of 60 days from the date of orders for the cacellation of the allotment, whichever is earlier.

(5) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with the nieghbours, the officer at the discretion of the Government may be allotted another residence, in the same type at any other place.

18. *Overstay in residence after cancellation of allotment.*—Whereafter an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains, in occupation of the officer to whom it was allotted or a person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges equal to double the market rent as may be determined from time to time.

Explanation.—"Services" include conservancy, common light and common water facility and "Market rent" means four times of the standard rent or pooled rent whichever is higher :

Provided that officer in special cases may be allowed by the Government to retain a residence on payment of twice the standard rent under F.R. 45-A for a period not exceeding six months beyond the period permitted under rule 10 (2).

19. *Continuance of allotment made prior to the issue of these rules.*—Any valid allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules, under the rules then in force, shall be deemed to be allotment duly made, under these rules notwithstanding the fact that the official to whom it has been made is not entitled to a residence to that type under the relevant rules and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.

20. *Interpretation of rules.*—If any question arises as to the interpretation of these rules, the decision of the Government shall be final.

21. *Delegation of power.*—The Government may delegate any or all the powers conferred upon it by these rules to any officer under its control, subject to such conditions as it may deem fit to impose:

Provided that the powers under Rule 24 of these rules shall not be delegated to any officer.

22. These rules will apply for allotment of General Pool Accommodation in all districts of Himachal Pradesh from the date of issue.

23. *Rent free Accommodation.*—Officer/Official who are entitled to rent free accommodation, shall not be considered for allotment in general pool accommodation:

Provided that at the stations in Himachal Pradesh where departmental accommodation is not available for the officers/officials who are entitled to rent free accommodation, they will be considered along with other employees at that station for the allotment of residential accommodation from the General Pool subject to the condition that if they are allotted accommodation from the General Pool, the rent will have to be paid by the concerned Department.

24. *Relaxation of Rules.*—Government may, for reasons to be recorded in writing, relax all or any of the provisions of these rules in the public interest or in cases of extreme compassion.

25. *Repeal and Savings.*—(1) The Allotment of Government Residences (General Pool) in Himachal Pradesh Rules, 1984 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding any such repeal, may order or allotment made, any action taken, or thing done shall be deemed to have been taken, made or done, under the corresponding provisions contained in these rules.

Sd/-
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।